न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।

हकसफा अपील वाद सं0–2/2014

महेश सिंह उर्फ महतों बनाम श्रीमति रामा देवी

आदेश

15.06.15

वर्त्तमान हकसफा अपील वाद अपीलार्थी महेश सिंह उर्फ महतों पिता स्व0 रघुनी सिंह उर्फ महतों, ग्राम–निस्ता हरिपुर, थाना–अलौली, जिला–खगड़िया की ओर से उत्तरवादी के रूप में श्रीमति रामा देवी पति अशोक साह, ग्राम–हरिपुर, थाना--अलौली, जिला–खगड़िया एवं नागेन्द्र सिंह पिता स्व0 हितो सिंह, ग्राम–निस्ता हरिपुर, थाना–अलौली, जिला–खगड़िया को पक्षकार बनाते हुए विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया न्यायालय के हकसफा वाद संख्या 18/2013 महेश सिंह उर्फ महतों बनाम श्रीमति रामा देवी में दिनांक–13.01.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है। जिसमें समाहित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा–	थाना नं0	तौजी नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	अराजी,
असुरार –	291	533	113	1012	11 1
					2 धूर

चौहद्दी–उत्तर– सड़क
दक्षिण–महेश मंडल वादी
पुरब– लखन कुमार
पश्चिम–खेसरा नं0–981 एवं 989

तदनुसार वाद प्रविष्टि के उपरान्त नियमानुसार सूचना निर्गत किया गया । उस आलोक में उत्तरवादी की ओर से दाखिल समाहित आवेदन पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सविस्तार पूर्वक सुना तथा पक्षकारों की ओर से उपलब्ध कराये गये कागजी साक्ष्य एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख को भी देखा। अपीलार्थी की ओर से अपने दावा के समर्थन में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि प्रश्नगत भूमि के Adjoining रैयत होने के नाते बिहार भूमि सुधार अधिकार सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन (अधिनियम 1961 की धारा 16(3)(I) के प्रावधान के तहत विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया के न्यायालय में हकसफा वाद संख्या 18/13 लाया गया था जिसमें सारी प्रक्रिया के उपरान्त अंतिम सुनवाई के बाद विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा उनके दावा को अमान्य करते हुए उक्त मामला को उत्तरवादी के पक्ष में खारिज कर दिया गया जो अपास्त Set-aside करने योग्य है। क्योंकि उत्तरवादी ना तो भूमिहीन के श्रेणी में हैं और न ही प्रश्नगत भूखंड वास योग्य भूमि है।

अपीलार्थी का आगे यह भी कथन है कि निबंधित दस्तावेज दिनांक–18.11.97 एवं 23.10.2000 के माध्यम से उनके द्वारा क्रय की गई भूमि के अनुसार प्रश्नगत भूखंड के पूर्व से ही दक्षिणी चौहद्दीदार Adjoining रैयत यथा समीप के दक्षिणी चौहद्दीदार है। जबकि उत्तरवादी की ओर से अपने दावा के समर्थन में कहा गया है कि अपीलार्थी द्वारा यह लाया गया अपील वाद कानूनी दृष्टिकोण से पोषनीय नहीं है क्योंकि हकसफा वाद सं0–18/13 में अपीलार्थी द्वारा दायर किये गये एल0सी0 फार्म–13 ही त्रुटिपूर्ण है तथा

आदेश की क्रम संख्यां और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
12.8.15	आवेदक महेश सिंह उर्फ महेश महतो ने एक आवेदन देकर अनुरोध किया है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 15.06.2015 को पारित आदेश में टंकण भूलवश निम्न त्रुटि रह गयी है :– 1. यह कि जमीन के विवरण में थाना–221 के जगह थाना नं0–291, चौहद्दी में पुरब–ललन कुमार के जगह लखन कुमार तथा दक्षिण में महेश महतो के जगह महेश मंडल लिखा गया है। बिन्दुवार आदेश निम्न प्रकार दिया जाता है :– 1. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया के अंतिम आदेश एवं निबंधित केवाला में जमीन का विवरण में थाना नं0–221 चौहद्दी पुरब में ललन कुमार एवं दक्षिण में महेश मंडल (वादी) लिखा है। इसलिए आदेश में थाना नं0–291 के जगह 221 सुधार किया जाता है। चौहद्दी पुरब में लखन कुमार के जगह ललन कुमार सुधार किया जाता है एवं दक्षिण में महेश मंडल वादी में सुधार की कोई गुंजाईश नहीं है। लेखापित एवं संशोधित। 12/8/15 अपर समाहर्त्ता, खगड़िया 12/8/15 अपर समाहर्त्ता, खगड़िया। डी० बी० नं०- 349/ दिनांक- 30/10/2015 / प्रतिलिपि :- भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया को L.C.R सहित वापस सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित / प्रतिलिपि :- N.I.C, खगड़िया को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर अपलोड हेतु प्रेषित। 16/10/15 अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।	